"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी 2026 — माघ 30, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक 410/21–अ/स्था./छ.ग./26. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ विधि और विधायी कार्य विभाग सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2025 की अनुसूची–चार के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (4) में पदोन्नति हेतु निर्धारित ''5 वर्ष'' की न्यूनतम अर्हकारी सेवा अवधि में कैलेण्डर वर्ष 2026 हेतु केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए ''02 वर्ष'' की छूट प्रदान करते है।

इस संशोधन को ऐसे पढ़ा जाएगा तथा अर्थ लगाया जायेगा, जैसा कि इसमें पूर्वोक्त संशोधन हुआ ही नहीं था।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार देशलहरे, अतिरिक्त सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 फरवरी 2026

क्रमांक 410/21–अ/स्था./छ.ग./26. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19–02–2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार देशलहरे, अतिरिक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 19th February 2026

NOTIFICATION

No. 410 / 21–अ / स्था. / छ.ग. / 26. – In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, relaxes "2 years" in the minimum qualifying Service period of "5 years" Prescribed for promotion in column (4) of serial number 4 of Schedule-IV of the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department Secretariat Service (Recruitment and Condition of Service) Rules, 2025, for calendar year, 2026 for one time only.

This amendment shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEEPAK KUMAR DESHLAHARE, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.